"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मई 2006—ज्येष्ठ 10, शक 1928

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-76/03/10-2.—वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :—

(1) श्री अनुराग शुक्ला, डॉ. भार्गव के सामने, मेन्स कंस्ट्रक्शन, मगरपारा रोड, बिलासपुर को, जिला बिलासपुर का,

(2) श्री दुर्गा प्रताप सिंह राजपूत, अधिवक्ता, पैलपारा, सारंगढ़, जिला रायगढ़ को, जिला रायगढ़ का,

(3) श्री जयनारायण सिंह, ग्राम कतियारास, दंतेवाड़ा को, जिला दंतेवाड़ा का,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक नियुक्त करती है. वे अपने क्षेत्र में राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अधीनस्थ रहेंगे तथा उनके द्वारा प्रत्यायोजित उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का प्रयोग करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेम कुमार, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2006

क्रमांक एफ 1-76/03/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-76/03/10-2 दिनांक 22-5-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेम कुमार, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd May 2006

NOTIFICATION

No. F 1-76/03/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, (No. 53 of 1972) the State Government, hereby appoints :—

(1) Shri Anurag Shukla, Infornt of Dr. Bhargav, Mens construction, Magarpara Road, Bilaspur, for Bilaspur District,

(2) Shri Durga Pratap Singh Rajput, Advocate, Pailpara, Sarangarh, District Raigarh for Raigarh District,

(3) Shri Jainaryan Singh, vill. Katiyaras, Dantewada for Dantewada District,

as Honorary Wild Life Wardens for the period of one year from the date of publication of this Notification in the Gazette. They shall be subordinate to the Chief Wild Life Warden of the State and exercise the powers and responsibilities delegated by the Chief Wild Life Warden.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PREM KUMAR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.